



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 15 मई, 2026

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमदत्त उर्फ पिन्टू पुत्र श्री कालीचरन, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-30968/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-28.07.2025) दिनांक-01-08-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमदत्त उर्फ पिन्टू पुत्र श्री कालीचरन, जो ग्राम-दुरियाई, थाना-बादलपुर, जनपद-गौतमबुद्धनगर का निवासी है। दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर दिनांक 10/11.01.2011 की रात्रि को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रस्सी से गला दबाकर व तेजाब डालकर अपनी पत्नी श्रीमती भूमिका शर्मा व 02 पुत्रियों की हत्या कर दी तथा साक्ष्य छिपाने हेतु शव को नहर में फेक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0- 368/2011, भा०द०वि० की धारा- 302, 201 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-05, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 30.09.2024 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.05.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध हत्या किये जाने से सम्बन्धित है, जो व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी की आयु 42 वर्ष है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर दिनांक 10/11.01.2011 की रात्रि को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रस्सी से गला दबाकर व तेजाब डालकर अपनी पत्नी श्रीमती भूमिका शर्मा व 02 पुत्रियों की हत्या कर दी तथा साक्ष्य छिपाने हेतु शव को नहर में फेक दिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोवेशन

अधिकारी, पुलिस उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमदत्त उर्फ पिन्टू पुत्र श्री कालीचरन को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमदत्त उर्फ पिन्टू (बन्दी संख्या-890/2024) पुत्र श्री कालीचरन, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-504/2026/1587(1)/22-2-2025 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
- 2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
- 3- निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

दिनांक: 15 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमदत्त उर्फ पिन्टू पुत्र श्री कालीचरन, जो ग्राम-दुरियाई, थाना-बादलपुर, जनपद-गौतमबुद्धनगर का निवासी है। दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर दिनांक 10/11.01.2011 की रात्रि को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रस्सी से गला दबाकर व तेजाब डालकर अपनी पत्नी श्रीमती भूमिका शर्मा व 02 पुत्रियों की हत्या कर दी तथा साक्ष्य छिपाने हेतु शव को नहर में फेक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-368/2011, भा०द०वि० की धारा- 302, 201 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-05, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 30.09.2024 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.05.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध हत्या किये जाने से सम्बन्धित है, जो व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी की आयु 42 वर्ष है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर दिनांक 10/11.01.2011 की रात्रि को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रस्सी से गला दबाकर व तेजाब डालकर अपनी पत्नी श्रीमती भूमिका शर्मा व 02 पुत्रियों की हत्या कर दी तथा साक्ष्य छिपाने हेतु शव को नहर में फेक दिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमदत्त उर्फ पिन्टू पुत्र श्री कालीचरन को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।